हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/5/25	पत्रावली पेश। वास्ते बहस प्रा०पत्र दिनांक 9/5/2025 को पेश हो
9/5/25	पत्रावली पेश। बहस वकील पक्षकरान सुनी गई। वास्ते आदेश प्रा०पत्र दिनांक - 19/5/25 को पेश हो
19/5/25	पत्रावली पेश। वास्ते आदेश प्रा०पत्र दिनांक - 23/5/2025 को पेश हो
23/5/25	**पत्रावली पेश। अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य बहिष्कार रखे जाने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 26/5/25..... को पेश हो**
26/5/25	पत्रावली पेश वास्ते आदेश प्रा०पत्र दिनांक - 30/5/2025 को पेश हो
30/5/25	पत्रावली पेश। वकील वादी ने दौराने बहस कथन किया की. हमने बटवारा का दावा. यह खातेदार होने से पेश किया. जिसे हम अपने नही चलाना चाहते है. इसलिए आदेशिका पर "Not press" लिखा है। वकील प्रतिवादी ने खण्डन में कथन किया की इनके द्वारा "Not press" करने पर हम यह प्रार्थना लाये है। यह वाद पूर्व मे यहाँ निर्णित होकर, अपील में राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा व राजस्व मण्डल राजस्थान - अजमेर से अपील निर्णय उपरान्त इस कार्यालय को प्रेषित किया है. जिसमे बटवारा रिपोर्ट मुताबिक अन्तिम निर्णय किया जाना

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहलकार हुक्म की तामील में जारी हुए
	है। न्यायालय राजस्व मण्डल - अजमेर द्वारा अपील के निर्णय के बिन्दु सख्या - 8 की पालना की जाकर वाद डिक्री किया जाना है। इनको अपना O 23 R 1 C.P.C. के प्रा०पत्र के तहत पेश करना चाहिए था। जो कि नही किया गया। अगर यह नया वाद पेश करना चाहते है, तो इनको वाद विड्रो करना चाहिए। इनके द्वारा 14 साल वाद चलाकर अब "Not press" अकंन किया है, जिससे न्यायालय व पक्षकारो का अमुल्य समय नष्ट किया है। "Not press" की अनुमति नही दी जाकर वाद सुनवाई कर डिक्री किया जावे। खवारे के दावे मे प्रतिवादी भी वादी की हैसियत रखता है। अगर ये वाद आगे नही चलाना चाहते है, तो हम वाद आगे चलाने चाहते है, अगर ये आगे पक्षकार रहना चाहे तो O 1 R 10 C.P.C. मे प्रा०पत्र पेश कर पक्षकार बन सकते है। वकील प्रतिवादी के उक्त तथ्यो के खण्डन मे वकील वादी ने कथन किया की O 23 R 1 C.P.C. मे वादी अपने वाद पत्र का परित्याग कर सकता है। नियम 23 (क) मे प्रतिवादी को वादी बनने की अनुमति / अधिकार दिये गये है। हम अपील के उपरान्त वाद चला रहे है, परन्तु अपील निर्णय उपरान्त भी पूर्व की भांति नही तकासमा रिपोर्ट बनकर आई है, जिसके विरुद्ध हम अपील मे गये थे। इन्होने ऐसा कोई प्रा०पत्र भी न्यायालय मे पेश नही किया है, जिससे इनको प्रकरण मे वादी के रूप मे संयोजित किया जावे।	

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर वाद वादी "Not Press" में खारीज किया जावे।

हमने वकील पक्षकारान की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में वादीगण ने अब कोई कार्यवाही नहीं चाहकर "Not press" अंकित किया है। O 23 R 1 C.P.C. में ऐसी कोई प्रावधान अंकित नहीं है कि वादी इस स्तर पर प्रकरण "Not press" नहीं कर सकता हो। वादी को अपना वाद "Not press" करने की किस स्तर पर कानूनी बाध्यता है, उस बाबत O 23 में कहीं कोई स्थिति अंकित नहीं है। वादी अपने दावे का मास्टर (ड्राईवर) होता है, जिसे आगे चलाने / नहीं चलाने का हक व अधिकार है। प्रकरण में वादीगण अब कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। यदि प्रतिवादी तकासमा करवाना चाहते है, तो नया वाद प्रस्तुत कर बटवारा करवा सकते है, जिसके लिये वे स्वतंत्र है।

अतः प्रकरण में उपरोक्त विवेचनउपरान्त प्रार्थना पत्र ~~O 7 R 11 ...~~ खारीज किया जाकर वाद वादीगण "Not press" में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली